

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी

औरैया, हरदोई, फिरोजाबाद, कानुपर देहात, बहराइच, हमीरपुर, हाथरस, मुरादाबाद, कासगंज, सीतापुर
पीलीभीत, महोबा, खीरी, मऊ, गोण्डा, झाँसी, बस्ती, गौतमबुद्वनगर, अलीगढ़, सम्भल, बुलन्दशहर
तथा वाराणसी।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक 30 जून, 2022

विषय:- कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों (Next of Kin of the deceased) को ₹ 50,000/-
प्रति मृतक अनुग्रह सहायता दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जनपदों द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को
अहेतुक सहायता दिए जाने हेतु किए गए अनुरोध के क्रम में निम्न तालिका के कालम-4 के अनुसार
कुल ₹ 4,59,50,000/- (₹ चार करोड़ उनसठ लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2022-
23 में निम्न विवरण/शर्तों के अधीन सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी के निर्वर्तन पर रखे जाने
की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं- (धनराशि ₹ 0 लाख में)

क्रम	जनपद का नाम	भुगतान हेतु लम्बित दावे	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4
1	औरैया	09	4.50
2	हरदोई	11	5.50
3	फिरोजाबाद	16	8.00
4	कानुपर देहात	08	4.00
5	बहराइच	05	2.50
6	हमीरपुर	01	0.50
7	हाथरस	26	13.00
8	मुरादाबाद	34	17.00
9	कासगंज	20	10.00
10	सीतापुर	30	15.00
11	पीलीभीत	16	8.00
12	महोबा	3	1.50
13	खीरी	50	25.00
14	मऊ	84	42.00
15	गोण्डा	34	17.00
16	झाँसी	41	20.50
17	बस्ती	-	50.00
18	गौतमबुद्वनगर	-	55.50
19	अलीगढ़	-	50.00
20	सम्भल	-	10.00
21	बुलन्दशहर	-	50.00

22	वाराणसी	-	50.00
	योग		459.50

(रु० चार करोड़ उनसठ लाख पचास हजार मात्र)

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मदविभागीय कार्य हेतु/धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।
- (2) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2023 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2023 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
- (3) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का समुचित लेखाजोखा रखा जाये तथा माह- के अंत में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।
- (4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोगसमर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।
- (5) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्त हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।
- (6) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
- (7) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रु० 4,59,50,000/- (रु० चार करोड़ उनसठ लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-06-11 स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय मानक मद-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक- 30 दिसंबर, 2021 एवं वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के शासनादेश संख्या: 5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक- 29 मार्च 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुधीर गर्ग)

प्रमुख सचिव,

संख्या- A001-2022-2023-001-R-one -10-2022-1172 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र० प्रयागराज।
- 2- अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, 30प्र० शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, 30प्र० शासन।
- 4- स्टाफ, आफिसर, मुख्य सचिव, 30प्र० शासन।
- 5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, 30प्र० लखनऊ।
- 6- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- 7- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, 30प्र०।

- 8- नोडल अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10 (बजट आवंटन), 30प्र0 शासन।
- 9- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, 30प्र0।
- 10- वित्त नियंत्रक, 30प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
- 11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(राम केवल)

विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2022-2023
आवंटन दिनांक-01/07/2022

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:-
अनुदान संख्या:-
लेखाशीर्षक:-

1172
001-1172
51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)
2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	बुलन्दशहर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	5000000 5000000	5000000 5000000
2	अलीगढ़-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	5000000 5000000	5000000 5000000
3	मुरादाबाद-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	1700000 1700000	1700000 1700000
4	पीलीभीत-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	800000 800000	800000 800000
5	झाँसी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	2050000 2050000	2050000 2050000
6	हमीरपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	50000 56000	50000 56000
7	वाराणसी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	5000000 5000000	5000000 5000000
8	बस्ती-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	5000000 6650000	5000000 6650000
9	सीतापुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	1500000 1582000	1500000 1582000
10	हरदोई-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	550000 550000	550000 550000
11	लखीमपुर खीरी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	2500000 2500000	2500000 2500000
12	गोण्डा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	1700000 1700000	1700000 1700000
13	बहराइच-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	250000 250000	250000 250000
14	कानपुर देहात-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	400000 400000	400000 400000
15	मऊ-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	4200000 4200000	4200000 4200000
16	फिरोजाबाद-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	800000 800000	800000 800000
17	महोबा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	150000 336310	150000 336310
18	गौतमबुद्ध नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	5550000 5550000	5550000 5550000
19	हाथरस-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	1300000 1300000	1300000 1300000
20	औरंगाबाद-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	450000 450000	450000 450000
21	कांसगंज-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	1000000 1000000	1000000 1000000
22	सम्बल-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	1000000 1030000	1000000 1030000
	योग	वर्तमान प्रणामी	45950000 47904310	45950000 47904310

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-
महायोग- (प्रणामी आवंटन):-

रूपया चार करोड़ उनसठ लाख पचास हजार
रूपया चार करोड़ उन्नासी लाख चार हजार तीन सौ दस

11/7/2022
(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उ० प्र० शासन।